संख्या- 16/2026/49-3099/14/2023-I/1256374/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/484150/कृषि-निवेश/बी-309, दिनांक 25.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत हुए व्यय के भण्डारण मद एवं परिवहन मद तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के परिवहन मद तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के परिवहन मद के प्रतिपूर्ति बिल धनराशि रूपये 986.19 (रूपये नौ करोड़ छियासी लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण 27 सब्सिडी की मद में प्राविधानित बजट धनराशि रूपये 170.00 करोड़ के सापेक्ष पी0सी0एफ0, लखनऊ के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत हुए व्यय के भण्डारण मद एवं परिवहन मद तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के परिवहन मद में धनराशि रूपये 982.83 लाख की प्रतिपूर्ति हेतु निम्न विवरणानुसार अधोलिखित नियमों व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि लाख रूपये में)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
						सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	पीसीएफ	जनवरी, 2026	6546/11.02.2026	--	25.85	--	--	25.85
		जनवरी, 2026	6613/12.02.2026	--	--	762.37	54.10	816.47
		योग		**--**	**25.85**	**762.37**	**54.10**	**842.32**
2	जिला सहकारी संघ लि0, बिजनौर	दिसम्बर, 2025	1018/23.01.2026	--	**--**	1.64	--	1.64
		योग		--	**--**	**1.64**	**--**	**1.64**
3	जिला सहकारी संघ लि0, मथुरा	दिसम्बर,2025	957/12.01.2026	--	--	4.12	--	4.12
		जनवरी, 2026	1041/04.02.2026	--	--	2.67	--	2.67
		योग		**--**	**--**	**6.79**	**--**	**6.79**
4	जिलासहकारी विकास संघ लि0, सहारनपुर	दिसम्बर, 2025	1498/07.01.2026	--	--	16.32	0.93	17.25
		योग		--	**--**	**14.00**	0.93	**17.25**
5	केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, एटा	मार्च, 2025	695/31.12.2025	--	--	0.48	--	0.48
		अप्रैल, 2025	694/31.12.2025	--	--	1.17	--	1.17
		मई, 2025		--	--	2.05	--	2.05
		जून, 2025		--	--	0.77	--	0.77
		जुलाई, 2025		--	--	1.83	0.75	2.58
		अगस्त, 2025		--	--	3.53	1.73	5.26
		सितम्बर, 2025		--	--	1.78	--	1.78
		अक्टूबर, 2025		--	--	3.50	--	3.50
		नवम्बर, 2025	825/10.02.2026	--	--	5.53	0.32	5.85
		दिसम्बर, 2025		--	--	4.03	3.75	7.78
		जनवरी, 2026	825410.02.2026	--	--	4.99	--	4.99
		योग		--	**--**	**29.66**	**6.55**	**36.21**
6	जिला सहकारी संघ लि0,गाजीपुर	अक्टूबर, 2025	1983/03.02.2026	--	--	0.11	--	0.11
		नवम्बर, 2025		--	--	0.15	--	0.15
		दिसम्बर, 2025		--	--	0.78	--	0.78
		योग		**--**	**--**	**1.04**	**--**	**1.04**
7	सहकारी क्रय- विक्रय समिति लि0, जंगीपुर गाजीपुर	मई, 2025	2001/06.02.2026	--	**--**	0.02	--	0.02
		जुलाई, 2025		--	--	0.26	--	0.26
		अगस्त, 2025		--	--	0.23	--	0.23
		सितम्बर, 2025		--	--	0.14	--	0.14
		नवम्बर, 2025		--	--	0.02	--	0.02
		दिसम्बर, 2025		--	--	0.39	--	0.39
		योग		--	**--**	**1.06**	**--**	**1.06**
8	सहकारी क्रय- विक्रय समिति लि0, केरूगंज शाहजहॉपुर	अप्रैल, 2025	1650/10.09.2025	--	--	1.40	--	1.40
		मई, 2025		--	--	3.75		3.75
		जून,2025		--	--	6.80		6.80
		जुलाई, 2025		--	--	9.27		9.27
		अगस्त, 2025		--	--	8.69		8.69
		योग		**--**	**--**	**29.91**	**--**	**29.91**
9	जिला सहकारी संघ लि0, उन्नाव	जुलाई, 2025	51/23.12.2025	--	--	6.91	--	6.91
		अगस्त, 2025		--	--	4.98	--	4.98
		सितम्बर, 2025		--	--	4.98	--	4.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अक्टूबर, 2025		--	--	4.20	--	4.20
		योग		**--**	**--**	**21.07**	**--**	**21.07**
10	जिला सहकारी फेडरेशन लि0, बुलन्दशहर	दिसम्बर, 2025	2208/21.01.2026	--	--	9.65	--	9.65
		योग		**--**	**--**	**9.65**	**--**	**9.65**
11	जिला सहकारी विकास संघ लि0, मुजफ्फनगर	दिसम्बर, 2025	1494/29.01.2026	--	--	2.47	3.45	5.92
		योग		**--**	**--**	**2.47**	**3.45**	**5.92**
12	उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखीमपुर खीरी	दिसम्बर, 2025	5325/12.02.2026	--	--	8.96	--	8.96
		योग		**--**	**--**	**8.96**	**--**	**8.96**
13	सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, चान्दपुर बिजनौर	अक्टूबर, 2025	1020/23.01.2026	--	--	0.10	--	0.10
		नवम्बर, 2025		--	--	0.11	--	0.11
		दिसम्बर, 2025	1019/23.01.2026	--	--	0.80	--	0.80
		योग		**--**	**--**	**1.01**	**--**	**1.01**
	सहकारी संस्थाओ का योग			--	--	**129.58**	**10.93**	**140.51**
	सकल योग			**--**	**25.85**	**891.95**	**65.03**	**982.83**

नियम/शर्तें/ प्रतिबन्ध

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण तथा धनराशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय, जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो और बिलों के भुगतान में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति न हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के बिलों के भुगतान में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्राविधान की सीमा तक सीमित रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) शासनादेश संख्या-I/960002/2025, दिनांक 15.05.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये **982.83 लाख** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 18 लेखाशीर्ष 2425008000500 रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।